

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
E-Mail- caodlb@gmail.com, Tel./Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक: प.6 (लेखा)RTIDF/बैठक/डीएलबी/2017-18/7228

दिनांक: 8-7-18

-: स्वीकृति आदेश :-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की 14वीं बैठक दिनांक 27.02.2019 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 3499 दिनांक 07.03.2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 14.5.1 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर को वर्ष 2018-19 में जनवरी - 2019 से मार्च - 2019 की अवधि के लिये राशि रु. 1500.00 लाख (अक्षरे रु. पन्द्रह करोड़ मात्र) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निम्न बजट-सद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

विकलेय मद	(राशि लाख रु. में) जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या - 29	
7055- सड़क परिवहन के लिए कर्ज	
00	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
(01)- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	
{01}- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड (राज्य निधि)	
00	1500.00
कुल योग	1500.00

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन जारी की गई है:-

01. पांच वर्ष का मोरेटोरियम होगा।
02. ऋण ब्याज मुक्त होगा।
03. समान किशतों में आगामी पांच वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान किया जावेगा।
04. नियमित किशतों में देरी की अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज शास्ति देय होगी।
05. निगम उक्त राशि का उपयोग निधि संचालन नियमों/RTIDF Steering Committee के निर्णय के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित करेगा।
06. निगम व्यय के सम्बन्ध में आरटीआईडीएफ के दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पूर्णपालना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक 171900473 दिनांक 03.07.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

(उज्ज्वल राठी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव


क्रमांक: प.6 (लेखा)RTIDF/बैठक/डीएलबी/2017-18/7630-44 दिनांक: 8-7-18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
03. महालेखाकर (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।

05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
06. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राज0 जयपुर।
07. निजी सचिव, शासन मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
08. निजी, सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
09. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 05 अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन हैं कि राशि रू. 1500.00 लाख (अक्षरे रू. पन्द्रह करोड़ मात्र) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या 3821 में हस्तान्तरित करने का श्रम करावे।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय जयपुर।
- ✓ 12. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अंक मिलान शाखा।

|


(एस. आर. मीणा)
परियोजना निदेशक